आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या. 1245/बी.एफ.एल./02/13–14 दिनांक 16-07-2014

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता (भवन),
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

सेवा में,

श्री मुकेश चन्द
निवासी–गढी नन्दू, सलैमाबाद, आगरा।

विषयः– खसरा संख्या–207 व 208, मौजा–दहतोरा, आगरा के ग्रुप–हाउस मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सूचित किया जाता है कि उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 14.07.2014 के अर्न्तगत सन्दर्भित औपचारिकताओं की पूर्ति की दशा में आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउस मानचित्र स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। अतः आप 15 दिन में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुऐ वांछित धनराशि जमा करा दें।

1. ग्रुप हाउसिंग के लिये बाहय् विकास शुल्क रू. 17,57,400.00, शेल्टर फीस रू0. 9,72,000.00 प्राधिकरण कोष में 15 दिवस के अन्दर जमा कराना होगा।
2. निरीक्षण शुल्क रू0. 2,30,335.00 तथा उपविभाजन शुल्क रू0. 8,15,310.00 माननीय न्यायालय के आदेशों के कम में जमा नहीं किया जाना है। परन्तु शपथ–पत्र एवं इण्डेम्निटी बॉण्ड प्रस्तुत करना होगा।
3. विद्युत विभाग (टोरन्ट पावर)/प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जा सकेगा।
4. लैण्डफिल साइट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित धनराशि जमा करानी होगी, जिसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आवेदक को भवन की छत पर सोलर वाटर हीटिंग संयत्र की स्थापना करनी होगी।
6. आवेदक को भवन सामग्री एवं मलवा अपनी भूखण्ड के अन्दर एकत्रित करना होगा, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदक मलवा शुल्क अदा करें।
7. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा आवेदक को सभी विभागो की एन.ओ.सी. की शर्तों का पालन करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं आवश्यक वृक्षारोपण का प्राविधान स्थल पर करना होगा।
9. कूडादान हेतु मूवेबिल कन्टेनर की व्यवस्था करानी होगी।
10. वैकल्पिक सौर ऊर्जा संयत्र का प्राविधान कराना होगा।
11. शासन द्वारा भूकम्प रोधी निर्माण के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करनें होंगे :–

(अ) पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में आर्कीटेक्ट, इन्जीनियर एवं आवेदक के स्पष्ट हस्ताक्षर, पता, प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

(ब) प्रस्तावित भवन का स्ट्रकचरल डिजाइन एवं गणनायें देनी होंगी।

(स) इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित निर्माण का पर्यवेक्षण अर्ह इन्जीनियर से प्रस्तुत की गयी डिजाइन/ड्राइंग के अनुरूप करना होगा।

12. मानचित्र निर्गत तथा मौके पर निर्माण समस्त एन.ओ.सी. प्राप्त होने पर किया जायेगा।

13. समस्त शर्तो का अनुपालन कराना होगा।

14. आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर भवन उपविधि–2008 संशोधित के अनुसार वृक्षारोपण व रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करानी होगी तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु रू0 3,00,000.00 (रू0 तीन लाख मात्र) की धनराशि (रिफण्डेबिल) आगरा विकास प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

15. बेसमेण्ट की खुदाई से पूर्व विकासकर्ता को जिलाधिकारी कार्यालय से खनन अनुज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक है।

16. प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन में अध्यासन की अनुमति दी जायेगी।

17. सड़क चौड़ीकरण हेतु भूमि निशुल्कः उपलब्ध कराने के आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय

सहायक अभियन्ता (भवन)